न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2019/08** दायरा दिनांक **07.01.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1 मजीद पुत्र पुसा जाति भाट निवासी गिरधारीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	**बनाम्**	1. शरीफखॉ पुत्र उमरदीन 2. खातून पुत्री उमरदीन 3. जनती पुत्री उमरदीन 4. रहमानी पुत्री उमरदीन समस्त जाति भाट निवासी गिरधारीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 5. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

दावा घोषणा खातेदारी बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
हस्ब धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित—

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री महेन्दसिंह खिलेरी उपस्थित ।
2. प्रतिवादी सं0 01,ता 04 की और से अधिवक्ता श्रीलालसिंह गोदारा उपस्थित।

—:: **निर्णय** ::—

दिनांक **07.01.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 एक ही परिवार के सदस्य है तथा पृथक—पृथक रहते है व कमाते खाते है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 की संयुक्त खातेदारी का खेत ख.न. 33 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा,वाके सरहद गिरधारीपुरा मे आया हुआ है।

वादी कुल तीन भाई थे जो उमरदीन याकुब व मजीद थे। जिसमें याकुब व उसकी पत्नि नाऔलाद फौत हो गये जिनके कोई जायन्दा विधिक वारिसान नही है।याकुब व उसकी पत्नि अपने पुरे जीवन काल में वादी के पास ही रही तथा वादी ने ही उसकी सेवा चाकरी की तथा सम्पुर्ण खर्चा वादी ने ही उठाया।

उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में 1/3 भाग वादी के व 1/3 भाग के 1/2 भाग मे शरीफ व 1/2 भाग में प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 का खातेदार नजीरी बैवा उमरदीन का हक अधिकार रहा है।एवम 1/3 भाग दौराने जीवन काल याकुब का हक अधिकार रहा है तथा उसके पश्चात वादी का हक अधिकार रहा है एवम वादी का ही कब्जा काश्त है।

याकुब के 1/3 भाग पर वर्तमान कब्जा काश्त वादी का ही है।तथा उसकी मृत्यु के पश्चात व उसकी पत्नी की मृत्यु के प हक अधिकार रहा है।

प्रार्थना वादी है

खेत ख.न. 33 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा,वाके सरहद गिरधारीपुरा में याकुबखॉ के नाम से दर्ज 1/3 भाग की खातेदारी वादी के नाम से दर्ज की जावे।एवम शरीफखॉ पुत्र उमरदीन व नजीरी बेवा उमरदीन के नाम से दर्ज खातेदारी में शरीफखॉ

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

के नाम 1/3 मे से 1/2 भाग दर्ज यथावत रखा जावें एवम् नजीरी बेवा उमरदीन के नाम दर्ज 1/3 मे से 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 शरीफखॉ पुत्र उमरदीन खातून पुत्री उमरदीन जनती पुत्री उमरदीन रहमानी पुत्री उमरदीन का नाम नजीरी की फौतगी नामान्तरण पर भरा जाने का आदेश सादर प्रदान किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 07.01.2019 को प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 ने ईकबाली जवाब पेश किया।प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री लालसिंह गोदारा ने की। प्रतिवादीगण संख्या 05 बावजूद तामील के अनुपस्थित। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:–आदेश–:

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत ख.न. 33 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा,वाके सरहद गिरधारीपुरा में याकुबखॉ के नाम से दर्ज 1/3 भाग की खातेदारी वादी के नाम से दर्ज की जाती है ।एवम शरीफखॉ पुत्र उमरदीन व नजीरी बेवा उमरदीन के नाम से दर्ज खातेदारी में शरीफखॉ के नाम 1/3 मे से 1/2 भाग दर्ज यथावत रखा जाता है एवम् नजीरी बेवा उमरदीन के नाम दर्ज 1/3 मे से 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 शरीफखॉ पुत्र उमरदीन खातून पुत्री उमरदीन जनती पुत्री उमरदीन रहमानी पुत्री उमरदीन का नाम नजीरी की फौतगी नामान्तरण पर भरा जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **07.01.2019** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2019/08** दायरा दिनांक **07.01.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1 मजीद पुत्र पुसा जाति भाट निवासी गिरधारीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	**बनाम्**	1. शरीफखॉ पुत्र उमरदीन 2. खातून पुत्री उमरदीन 3. जनती पुत्री उमरदीन 4. रहमानी पुत्री उमरदीन समस्त जाति भाट निवासी गिरधारीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 5. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्
दावा घोषणा खातेदारी बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
हस्ब धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
दिनांक 07.01.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री,वादी उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01,ता 03 उपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत ख.न. 33 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा,वाके सरहद गिरधारीपुरा में याकुबखॉ के नाम से दर्ज 1/3 भाग की खातेदारी वादी के नाम से दर्ज की जाती है ।एवम शरीफखॉ पुत्र उमरदीन व नजीरी बेवा उमरदीन के नाम से दर्ज खातेदारी में शरीफखॉ के नाम 1/3 मे से 1/2 भाग दर्ज यथावत रखा जाता है एवम् नजीरी बेवा उमरदीन के नाम दर्ज 1/3 मे से 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 शरीफखॉ पुत्र उमरदीन खातून पुत्री उमरदीन जनती पुत्री उमरदीन रहमानी पुत्री उमरदीन का नाम नजीरी की फौतगी नामान्तरण पर भरा जाने का आदेश दिया जाता है।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.................. ..खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **07.01..2019** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील	–		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान		

Scanned by CamScanner

खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	—		फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			थमजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–08–2019/रीडर/2019/95

दिनांक 28/1/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा घोषणा खातेदारी बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
हस्ब धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी		प्रतिवादीगण
1 मजीद पुत्र पुसा जाति भाट निवासी गिरधारीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. शरीफखॉ पुत्र उमरदीन 2. खातून पुत्री उमरदीन 3. जनती पुत्री उमरदीन 4. रहमानी पुत्री उमरदीन समस्त जाति भाट निवासी गिरधारीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 5. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner